न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

दर्शनसिंह बनाम फजरू

....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.5.22	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः उभयपक्ष /अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14.06.22तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी ख0 सं0 हाल 148 रकबा 0.2700हे0, 149 रकबा 0.2000हे0, 150 रकबा 0.1300हे0 वाके ग्राम तीतरका तहसील किशनगढबास के आगामी पेशी तक रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे। क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 14.06.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर)	
14-6-22	वकील प्रार्थी उप0। पी0 साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। दिनांक 26-7-22 को पेश हो। रीडर	
	26-7-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।	

उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 13-9-22 को पेश हो।

रीडर

13-9-22 वकील प्रार्थी उप० रजि० रहो० से तलबाना पेश किया। जारी होकर इन्तजार तामील पत्रावली दिनांक 31-10-22 को पेश हो।

उपखण्ड अधि...
किशनगढ़बास (अ...

31-10-22 पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी सं० 1, 2 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ शामिल किया गया। P.O साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। आयन्दा 28-11-22 दिनांक को पेश हो।

28/11/22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अवकाश पर ~~अन्य कार्य में व्यस्त हैं / बाहर पधारे हैं।~~
उभयपक्ष के अधि.उप. आयन्दा दिनांक 20/12/22 को पेश हो।

रीडर

प्रार्थी शमशेर

नवलसिंह

12.12.22 पत्रावली अर्जी प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। प्रार्थी ने वाद विड्रा हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। चूंकि वादी का वाद विड्रा किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र भी इसी आधार पर विड्रा किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल लेखा भण्डार हो, सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)